भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5005
23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : असम में हरी सब्जियों का उत्पादन

5005. श्री अब्दुल खालेकः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में हरी सब्जियों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसान बाजार में अपनी उपज (सब्जियां) सीधे बेच रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सब्जियों के भंडारण हेतु सरकारी शीतागारों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार असम में बारपेटा संसदीय क्षेत्र में एक शीतागार स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) : देश में बागवानी फसलों के उत्पादन संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमानों (2018-19) के अनुसार असम राज्य में हरी सब्जियों के उत्पादन का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख) : असम सरकार ने सूचना दी है कि अधिकतर किसान अपने उत्पादों को सीधे स्थानीय मंडियों तथा हॉटों में बेचते हैं। कुछ स्थानों पर बिचौलिए सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में खेत से उत्पादों को एकत्र करते हैं और उसकी थोक में तथा शहर की मंडियों में बिक्री करने के लिए भेज देते हैं।

(ग) एवं (घ) : राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित 3 सरकारी शीत भंडागारों को (असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा) संचालित किया जा रहा है:-

क्र. सं.	स्थान	जिला	क्षमता (टन में)
1	सिंगीमाडी	कामरूप	2000
2	गोसाईगांव	कोकराझार	2000
3	चेनीजान	जोरहाट	2000

इसके अतिरिक्त इस विभाग द्वारा कार्यान्वित समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) की उप-स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा 31.03.2019 तक असम राज्य के लिए 1.75 लाख टन क्षमता वाले 33 शीत भंडागारों की मंजूरी दी गई है। शीत भंडागार का घटक ऋण संबद्ध है तथा पार्श्वांत राज्य सहायता (पूर्वोत्तर के मामले में 50 प्रतिशत; जिसे उद्यमियों, निजी कंपनियों, सहकारी समितियों, किसान समूहों के लिए उपलब्ध बनाया गया है) केवल परियोजना पूरी हो जाने तथा प्रचालन में होने पर निर्मुक्त की जाती है।

शीत भंडागारों का घटक मांग वाहित है तथा राज्यों को 5 करोड़ रूपए तक की परियोजनाओं को मंजूर करने का अधिकार दिया गया है। यह विभाग प्रत्यक्ष रूप से शीत भंडागारों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव नहीं करता है लेकिन एमआईडीएच के राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) तथा एनएचबी के अंतर्गत राज सहायता के तौर पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बारपेटा में शीत भंडागारों की स्थापना करने के इच्छुक उद्यमी/किसान एसएचएम/एनएचबी के माध्यम से सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

अनुबंध

लो.सं.अ.ता.प्र.सं.5005

असम में हरी सब्जियों का उत्पादन

[2018-19 (दूसरे अग्रिम अनुमान)]

क्र.सं.	फसल	उत्पादन ('000 टन में)
1	फलियां	28.36
2	करेला	53.21
3	लौकी	52.47
4	गोभी	698.16
5	शिमला मिर्च	3.13
6	खीरा	80.45
8	ओकरा / भिंडी	193.32
9	परवल / कुन्दरू	18.61
10	मटर	31.58
11	**कुल**	**1159.29**

*****